International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 159-161

असमर्थों एवं दिव्यांगों के सशक्तीकरण में समावेशी शिक्षा की भूमिका

अजीत कुमार यादव
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, आर0बी0एस0 कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
सभ्य समाज की अवधारणा, विकास तथा निरन्तरता बिना ज्ञान के सम्भव नही है। ज्ञान आधारित राज तथा समाज की स्थापना एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा सबसे महतवपूर्ण साधन है। ऐसी स्थिति में किसी भी क्षेत्र में सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए अथवा समाज स्वीकृत व्यवहार करने के लिए विशेष स्तर की परिपक्वता की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति से सही सन्तुलन विकसित नही हो पाता है या वांछित परिपक्वता प्राप्त नही हो पाती है तो वह उस क्षेत्र में आगे नही बढ़ सकता और ना ही वांछित व्यवहार ही कर पायेगा ऐसे ही बालकों को असमर्थ एवं विकलांगों की श्रेणी में रखा जाता है। ''विकलांगता एवं असमर्थता शारीरिक रूप से लोगों से उतना नही छीनती जितना, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वह उनहें प्रभावित करती है। इन्हीं परिस्थितियों को दूर करने के लिये शिक्षा के आधुनिक स्वरूप में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे असमर्थों एवं दिव्यांगों आदि का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक समावेशन किया जा सके और उनकी विभिन्नताओं एवं उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखना उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके।

मूल शब्द : समाज, सशक्तीकरण, राजनैतिक।

प्रस्तावना
समावेशी शिक्षा को समेकित शिक्षा के नाम से भी पुकारा जाता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य, असमर्थों, विकलांगों, एवं, वंचित बच्चों की सीखने–सीखाने की प्रक्रिया हेतु उपयुक्त माहौल प्रदान करके उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने से है। असमर्थता एवम् विकलांगता शारीरिक रूप से लोगों से उतना नही छीनती, जितना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वह उन्हें प्रभावित करती है। विकलांग व्यक्ति अकसर अपने मानवाधिकार का पूरा–पूरा उपयोग करने से वंचित रह जाता है और जीवन में सामान्य लोगों से पिछड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियों से उबारने के लिये ही व्यवस्थित शिक्षा के प्रयास होते रहे है। वस्तुतः विकलांगता से ग्रस्त बच्चों का अलग स्कूलों में शिक्षा देने अथवा सामान्य स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रश्न काफी लम्बे समय से बहस का विषय बना हुआ है। कुछ संस्थाओं एवं विकलांग बच्चो के साथ हो रहे भेद–भाव एवम उनके रोजगार व शिक्षा में एकीकरण को प्रोत्साहित करने की मांग करते हुये, अलग शिक्षण संस्थाओं का विरोध किया है। यद्यपि परम्परागत सोच के लोग विकलांगों एवं असमर्थो के सामान्य कक्षा में पठन–पाठन के प्रति सशंकित है। फिर भी एक बड़ा वर्ग विकलांग एवं असमर्थो के प्रति अनुकूलतम दृष्टिकोण अपनाते हुये उनके लिये समेकित शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। अर्थात् हम यह कह सकते हैंकि समेकित शिक्षा पूर्व में अलग–थलग किये समूहों सहित सभी छात्रों को विद्यालय की मुख्य प्रणाली में शामिल करके उन्हें शिक्षा ग्रहण करने एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की परिस्थिति को प्रभावशाली स्वरूपों में उपलब्ध कराती है। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

व्याख्या एवं विश्लेषण
इसके अन्तर्गत, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा विकलांग बालक भी शामिल है। जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या में 2.68 करोड़ व्यक्ति विकलांगता से प्रभावित है जो सम्पूर्ण जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है।

तालिका 1

जनसंख्या 2011			असमर्थ जनसंख्या 2011		
व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
121.08 Cr.	62.32 Cr.	58.76 Cr.	2.68 Cr.	1.5 Cr.	1.18 Cr.

जिसमें मुख्यतः (69 प्रतिशत) असमर्थों की जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में (1.86 करोड़) निवास करती है। वही 31 प्रतिशत जनसंख्या (0.81 करोड़) शहरी क्षेत्रों में निवास करती है।

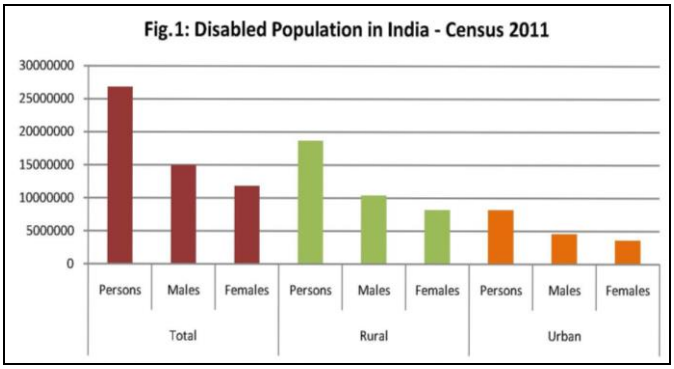

2011 जनगणना के अनुसार भारत में मुख्यतः वर्णान्धता, कम दृष्टि, कुष्ट रोग, स्रवण ह्रास, मनोजैविक समस्याग्रस्त, मस्तिष्क रूप से विक्षिप्त, मस्तिष्क जड़ता जैसी असमर्थतायें है। जिसे प्रतिशत में देखन पर हमें पता चलता है कि–

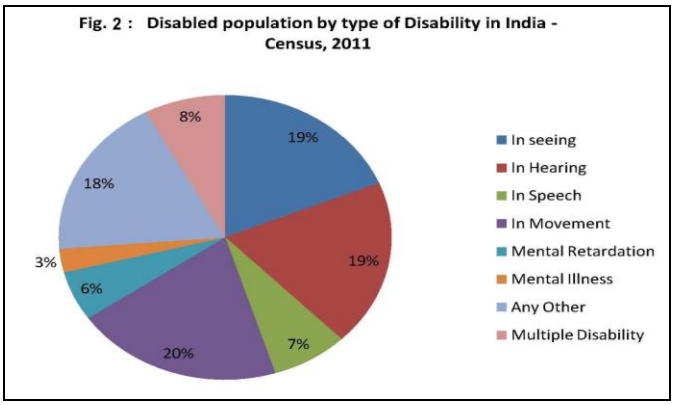

सर्वाधिक अक्षमता (20 प्रतिशत) चलन ह्रास, 17 प्रतिशत दृष्टिबाधित, एवं 19 प्रतिशत श्रवण ह्रास जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। एवम् 8 प्रतिशत बहुप्रकृति अक्षमता से ग्रसित है।

हमारे देश में मुख्यतः 17 प्रतिशत (46.2) 10–12 वर्ष की आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा अक्षमता से ग्रसित है। और 20–29 वर्ष के लोगों की प्रतिशतता 16 प्रतिशत लगभग 41.9 लाख है। जो आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं अपने हितों एवं मानवीय संसाधनों से वंचित है।

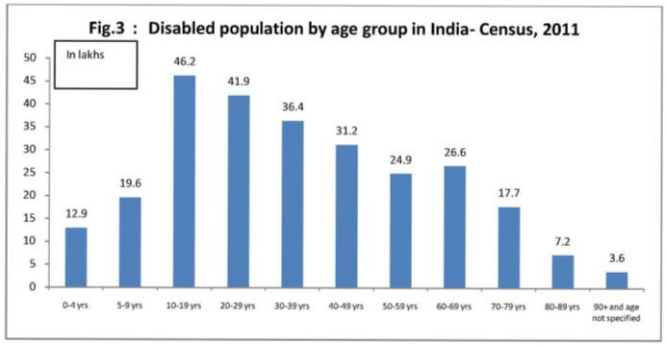

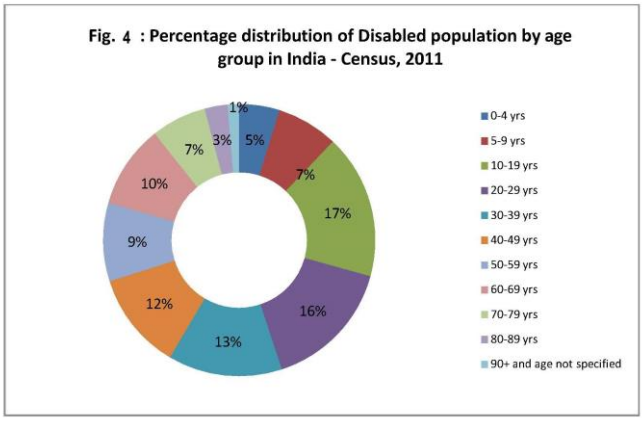

असमर्थ बच्चों की विद्यालय गत्यात्मकता (5–19 वर्ष)

यदि जनगणना 2011 के ऑकड़ों को देखें तो इसके अनुसार 61 प्रतिशत असमर्थ बच्चों को हमने स्कूल की कक्षाओं तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। एवं इसमें बालकों की प्रतिशतता 57 प्रतिशत है।

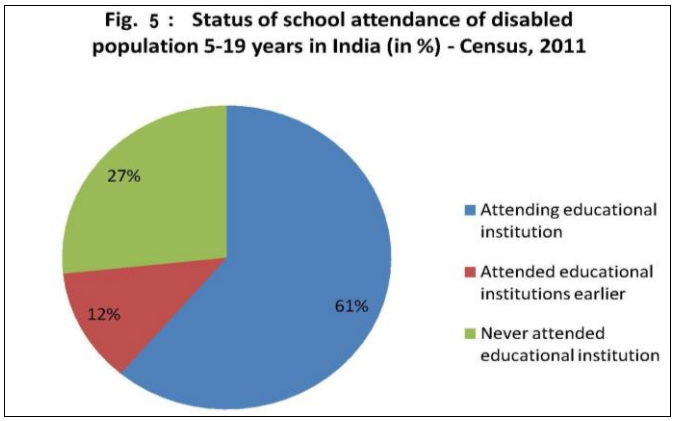

तथा बालिकाओं की 43 प्रतिशत है।

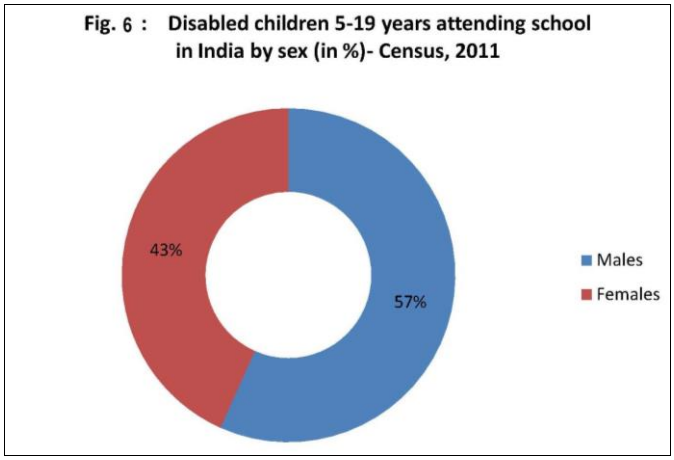

सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के बाद भी अभी इसे इस क्षेत्र में बहुत से कार्य करने की आवश्यकता है चूंकि हमारे देश के गांवों का देश कहा जाता है और ज्यादातर आबादी गांवों में देखने को मिलती है। अतः 5–19 वर्ष के बच्चों की विद्यालय गत्यात्मकता को यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है।

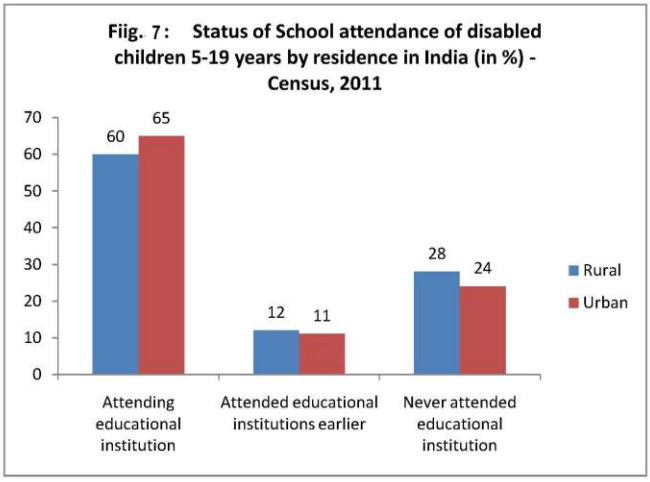

जनगणना 2011 मुख्यतः यह दर्शाती है कि हमारे देश मे एक तिहाई (36 प्रतिशत) विकलांग एवं असमर्थ ही रोजगार परक हे। जिसमें 47 प्रतिशत पुरूष एवम् 25 प्रतिशत महिला रोजगारपरक है। ऐसी स्थिति में हमारे शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं को सोचना होगा और व्यापक प्रयास करके इन छूटे एवं पिछड़ों को साथ में लाना होगा जो कि वर्तमान का आधार भी है और भविष्य के संसाधन भी। अधिनियम 1995, को और भी सशक्त एवं तत्परता से लागू करना होगा जिससे असमर्थों की स्थिति में सुधार हो सके। देश को एक नयी दिशा देने तथा आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए सरकारों द्वारा असमर्थों के मुद्दे और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए उनके उत्तरोत्तर विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर कार्य किया गया है। फिर भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा केवल संख्या मात्र के तौर पर गिना जाता है। इसलिए एक ऐसी समग्र नीति की आवश्यकता है जो इस नंबर को संसाधनों में बदल सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में समावेशी शिक्षा नितान्त जरूरी है। जिसमें आधारभूत सिद्धान्तों में नवीन समावेशन करते हुये नये स्कूलों का गठन अथवा परम्परागत स्कूलों का काया परिवर्तन करने के लिए निम्न व्यवहारिक क्रियाकलापों को अपनाने की जरूरत है।

उपाय

1. समावेशी शिक्षा मे विकलांगों में समावेशन को एकल प्रयास घटना के रूप में न देखकर सतत व निरन्तर प्रक्रिया के रूप में समझना होगा।
2. विद्यालयों में ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे अक्षम विद्यार्थी विद्यालय के परिवेश में समायोजित हो सके।
3. छात्र, अभिभावकों, सामुदायिक सदस्यों को विद्यालय गतिविधियों में शामिल करना होगा।
4. प्रौद्योगिकी के विकास पर बल, एवं अध्यापक तथा छात्रों को समुचित पाठ्यक्रम व अधिगम प्रविधियों अधिगम वातावरण तथा प्रभावी सहायता उपलब्ध कराना होगा।
5. राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे इसरो, एन0सी0ई0आर0टी0 तथा इग्नू आदि के शैक्षणिक कार्यक्रमों को और वृहद स्तर पर जनसंचार फैला कर असमर्थों एवं दिव्यांगों के लिये उपयोगी बनाना होगा।
6. छोटी–छोटी मोबाईल टीमें बनाकर दस शिक्षकों को उसमें शामिल करना होगा और सतत् शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।
7. पूर्व में चल रही व्यवस्था का पुर्नमूल्यांकन करना होगा, शिक्षक अनुपात ठीक करना होगा और दिव्यांगों और असमर्थों के अभिभावकों को जागरूक बनाना होगा।
8. संसाधनों का वितरण समांग रूप से करना होगा इसके लिये जिले या ब्लाक स्तर पर एक कमेटी या कोई एन0जी0ओ0 गठित करना होगा।

निष्कर्ष

असमर्थों के जीवन विकास में समावेशी शिक्षा नवीन आधार प्रदान कर सकसती है और यह तभी सम्भव होगा जब हम मुख्यतः आधारभूत संरचना, संवेदनशीलता, पढ़ना, समझ, सहयोग तथा क्षमता निर्माण की समुचित ढंग से आपूर्ति कर सके। इन मूल घटकों के अभाव में समावेशन का कोई भी कार्यक्रम सफल नही हो सकता और यह बहुत दुखद है कि भारत अभी भी इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों से काफी पीछे है और यदि भारत को सभी के लिए शिक्षा के संकल्प को पूरा करना है तो इस दिशा में बहुत तेजी से और व्यापक कदम उठाने की जरूरत है।

सन्दर्भ

1. गुप्ता, मोती लाल (2013), भारत के समाज, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ आकादमी।
2. गुप्ता, एस0पी0 एवं अलका गुप्ता (2014), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन
3. गुप्ता, एस0पी0 (2016), शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन
4. सिंह, बी0जी0 (2014), भारत में शिक्षा का अधिकार, शारदा पुस्तक भवनः इलाहाबाद।
5. अलख, एन0 शर्मा, एवं बलवंत सान्याल (2017), भारत में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की चुनौतिया, सूचना भवन सीजीओ, परिसर लोधी रोड़ नयी दिल्ली, जून पृ0सं0–13
6. पणि नरेन्द्र (2014), भारतीय शहरों में ग्रामीण समावेशन, योजना भवन, संसद मार्ग; नई दिल्ली, अंक सितम्बर पृ0सं0–19
7. http://www.mospi.gov.in
8. http://www.educationindia.net
9. http://humanrights.education.info
10. www.labour.nic.in